

12/9/24

पत्रावली प्रस्तुत। प.०. साहब अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली दिनांक 25/9/24 को भेजा है।

25/9/24

पत्रावली प्रस्तुत। कमील वादी अनुपस्थित। वादी न  
तो कबालतान उपस्थित न ही आनालतान उपस्थित।  
न्यायालय जाए बार-बार कलक कलक 50 आवाज  
लगाई गई। वादी एवं प्रतिवादी की ओर से कोई  
उप० नहीं। हस्तगत प्रमाण इसी स्तर पर। अदालत की  
अदालत हादरी में खारिज किया जावा है। प्रमाण केवल प्रमाण  
देकर दाखिल फर्मा हो व दर्ज नम्बर से कम है।

सुरेश  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़